

# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक एफ 1(2)(1) नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/8639

दिनांक: 17.10.2020

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)  
(कलक्टर) जयपुर, जोधपुर एवं कोटा।

**विषय:-** नगरनिगम आम चुनाव 2020 - चुनाव प्रचार में लाउडस्पीकर/वाहन के उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में।

**संदर्भ:-** आयोग का पत्रांक एफ 1(2)(1) नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/4237 दिनांक 21.10.19

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित सा.आदेश के खण्ड 05 में चुनाव प्रचार में लाउडस्पीकर/वाहन के उपयोग को सीमित करने के लिए प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं। वर्तमान चुनाव Covid-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों में करवाये जा रहे हैं। चुनाव में Covid-19 महामारी का संक्रमण न फैले इस हेतु आयोग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। Covid-19 महामारी का संक्रमण से उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों में संदर्भित आदेश को कुछ सीमा तक परिवर्तित रूप में लागू किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZA सपठित अनुच्छेद 243K एवं नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 23(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संदर्भित सा.आ. दिनांक 21.10.2019 की निरन्तरता में यह निदेशित किया जाता है कि -

1. आयोग की Covid-19 के संबंध में जारी गाइडलाइन दिनांक 09.10.2020 के अनुसार चुनाव प्रचार में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करना आवश्यक होगा एवं 5 से अधिक व्यक्ति घर-घर जाकर प्रचार नहीं करेंगे।
2. चुनावी सभा एवं रैली आयोजित नहीं होने से लाउडस्पीकर के उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
3. नगर निगम सदस्य चुनाव में प्रचार हेतु अभ्यर्थी को एक वाहन की अनुमति होगी। वाहन में अनुमत संख्या से अधिक व्यक्ति नहीं बैठ सकेंगे। इसके अतिरिक्त एक अन्य वाहन में लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार करने की अनुमति होगी, जिसमें वाहन के ड्राइवर के अलावा केवल एक व्यक्ति ही बैठ सकेगा। लाउड स्पीकर द्वारा प्रचार प्रातः 8.00 बजे से सांय 8.00 तक ही अनुमत होगा परन्तु ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्रभावी विधि के अन्तर्गत नियत डेसीमल के अनुसार किया जायेगा। उक्त दोनों वाहनों की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी।

संदर्भित सा.आ. दिनांक 21.10.2019 के अन्य प्रावधान यथावत लागू रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी उक्त आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,



(अशोक कुमार जैन)

उप सचिव